अभियोजित करने या साक्ष्य देने के लिए बन्धपत्र

**प्ररूप सं. 45**

(धारा 436, 438 (3) एवम् 441)

न्यायालय ………………………………………..

थाना : ……………………………................ को

अन्तर्गत धारा ………………………………………............... को कारागार भेजे गये

प्रथम सूचना रिपोर्ट …………………………………. की सुनवाई की अगली तारीख

अभियोजित करने या साक्ष्य देने के लिए बन्धपत्र

मैं (नाम) ................. ................ .................. निवास स्थान ..... .............................. अगले तारीख ................. .................. दिन .............. ..................... समय .................................... बजे ................... में न्यायालय ................. ................. में स्वयमेव हाजिर होने और तब और एक **“अबक”** के विरुद्ध के अपराध के मामले में अभियोजित करने (या अभियोजित करने और साक्ष्य देने (या साक्ष्य देने) के लिए आबद्ध करता हूँ और इसमें व्यतिक्रम करने की दशा में मैं तारीख ........ ................ ............................. को ...... ........................... रुपये की रकम सरकार को समपहृत हो जाने के लिए स्वयं को आबद्ध करता हूँ।

(हस्ताक्षर)